पत्रांक–9/नि0–01–02/2019, सा0प्र0...14273/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

पटना–15, दिनांक...18-10-19

विषय– **बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के पदों की रिक्तियों की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–12467, दिनांक–17.09.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के नियम 7(2) एवं 7(6) के उपबंधों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा निम्नवर्गीय लिपिकों की नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–12467, दिनांक–17.09. 2018 द्वारा वर्ष 2018, दिसम्बर तक की रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार सूचना की मांग की गई थी।

2 उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–963, दिनांक–20.01.2016 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराया गया है एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–13185, दिनांक–03.09.2015 द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातिनी हेतु 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13062, दिनांक–12.10. 2017 द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 द्वारा "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" में राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3 अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–12467, दिनांक–17.09.2018 के आलोक में भेजी गई अधियाचना को वापस लेते हुए उपर्युक्त कंडिका–2 में अंकित संकल्पों/नियमावली में सचिवालय के विभागों/संलग्न कार्यालयों में 31 दिसम्बर 2019 तक रिक्त होने वाले निम्नवर्गीय लिपिक के पदों की आरक्षण कोटिवार सूचना संलग्न प्रपत्र–1 में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। कृपया सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से ही रिक्तियाँ, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाए। उक्त सूचना दिनांक–30.11.2019 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

18/10/19

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

प्रपत्र–1

सीधी भर्ती हेतु बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा की अधियाचना:–

विभाग का नाम :–
अधियाचित पदों की विवरणी :–
पद का नाम :–
अधियाचित कुल पदों की संख्या :–

क्र0 सं0	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	अनारक्षित (01)		
	अनुसूचित जाति (02)		
	अनुसूचित जन जाति (03)		
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)		
	पिछड़ा वर्ग (05)		
	पिछड़े वर्गों की महिला (06)		
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (EWS) (07)		N/A

2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी के लिए अरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या–	

3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (4%) कुल पदों की संख्या :–	
	(i) दृष्टि बाधित (VI)	
	(ii) अस्थि विकलांग (OH)	
	(iii) मूल बधिर (DD)	
	(iv) मनोविकार दिव्यांगता	

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर